माननीय न्यायमूर्ति महिंदर सिंह सुल्लार के समक्ष

हरियाणा लोक सेवा आयोग

और अन्य-

बनाम

राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा और

एक अन्य सूचना आयुक्त - *प्रतिवादी*

2010 की CWPNo.9721

1 ओथ जनवरी, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-धारा 8(ङ)थ) - भारतीय दंड संहिता के पदों पर भर्ती (ई.बी.) - प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो-कॉपी चाहने वाले उम्मीदवार - राज्य सूचना आयुक्त आईआईपीएससी को प्रश्न पत्रों और मॉडल कुंजी कोड की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश देते हैं - क्या ऐसी सूचना 2005 अधिनियम *की धारा 8 (ई) क्यू के छूट खंड के अंतर्गत आती है - आयोजित, नहीं- एसआईसी द्वारा जारी किए गए निर्देश 2005 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप माने गए - याचिका खारिज कर दी गई।*

यह माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 20 05 के प्रावधानों के सह-संयुक्त पठन से पता चलेगा, केवल उस जानकारी को छूट दी गई है, जिसके प्रकटीकरण का सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण होगा, जब तक कि अधिकारी संतुष्ट न हों कि बड़ेआर जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता है। आईटीआईएटी का मतलब है, क्योंकि छूट खंड के सभी आवश्यक अवयवों का पूरी तरह से अभाव है, इसलिए, याचिकाकर्ता मॉडल कुंजी कोड की जानकारी की छूट का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसकासार्वजनिक रोजगार के लिए परीक्षा के संचालन के साथ सीधा संबंध है और संभवतः इसे किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता का अनुचित आक्रमण नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, मॉडल कुंजी कोड के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई जानकारी, संभवतः छूट दी गई जानकारी नहीं दी जा सकती है, जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (सी) (1) के तहत बढ़ाया गया है। जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है।

(21 परोसता है)

एच.एन. मचतानी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए

नारकंदर सिंह। उप महाधिवक्ता। हैयाना। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

अमन पाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए

शेष उत्तरदाता *पूर्व पक्षीय*

मेह इंदर सिंह सुल्लार, . एल (मौखिक)

(1) चूंकि कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, मैं उपर्युक्त उल्लिखित रिट याचिकाओं को इस सामान्य आदेश के *माध्यम से* पुनरावृत्ति के लिए निपटाने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि, प्रासंगिक तथ्य, जिन्हें इन याचिकाओं

में शामिल मुख्य विवाद को तय करने के लिए एक आवश्यक उल्लेख की आवश्यकता है, को 2010 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9721 से हरियाणा लोक सेवा आयोग और एक अन्य *बनाम* राज्य सूचना आयुक्त, 1 लारियाना और अन्य के रूप में निकाला गया है ।

(2) वर्तमान रिट याचिकाओं के निपटान के लिए प्रासंगिक और रिकॉर्ड से निकलने वाले तथ्यों का प्रतीक यह है कि याचिका-हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षिप्तता के लिए "याचिकाकर्ता-एचपीएससी") ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवा) के 1 84 पदों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। - 4 जनवरी, 2009 के विज्ञापन के माध्यम से। एक डब्ल्यूअज़ीर सिंह दलाल (प्रतिवादी नंबर 2) ने संकेतित पद के लिए आवेदन किया और अंततः वह उपस्थित हुए, लेकिन इस संबंध में 26 अप्रैल, 2009 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं कर सके।

(3) 20 जुलाई, 2009 के आवेदन (अनुलग्नक पी-1) के मद्देनजर, उत्तर संख्या 2 ने जूलॉजी विषय (वैकल्पिक) की प्रश्न पुस्तिका की (सूचना) फोटो-कॉपी, फोटो-कॉपीओ (सामान्य अध्ययन की प्रश्न पुस्तिका (प्रारंभिक परीक्षा एचसीएस -2009) (कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाएं) और सूचनाका अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए पेपर एससीटीटीसी आर/सीजेमिनर, जूलॉजी (वैकल्पिक) की प्रतिक्रिया की फोटो-कॉपी मांगी, 2005 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। राज्य लोक सूचना अधिकारी-सह-सचिव (संक्षिप्तता के लिए एसपीआईओ) द्वारा दिनांक 19 अक्तूबर, 2009 के एकल पंक्ति आदेश (संलग्नक पी-2) द्वारा उसकी गोपनीयता के आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया था।

(4) एस पीआईओ और वें ई एफएए की कार्रवाई से व्यथित,प्रतिवादी नंबर 2 ने दूसरी अपील दायर की, जिसे अंततः निपटाया गया और निम्नलिखित निर्देश स्लेट सूचना आयुक्त (संक्षिप्तता "एसआईसी") द्वारा आक्षेपित आदेश, दिनांक 23 फरवरी, 2010 (अनुलग्नक पी -10) के आधार पर जारी किए गए थे: -

> *"(ए) जूलॉजी (वैकल्पिक) के संबंध में श्री वजीर सिंह दलाई द्वारा अनुरोध किए गए प्रश्न पत्र और मॉडल कुंजी कोड।*
>
> *और सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा /-आईसीएस -2009 (कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाएं) उसे उत्तरदाताद्वारा* प्रदान की जाएगी।
>
> *(ख) राज्य सूचना आयुक्त ने व्यक्ति की सुरक्षा और सुरक्षा के आधार पर प्रश्नकर्ता की टिप्पणियों की फोटो प्रतियों के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। "*

(5) अगली सीवल, एसपीआईओ और एफएए (इसी तरह के एक मामले में) की कार्रवाई से व्यथित होकर, निजी प्रतिवादी, अर्थात् सुधीर कटारिया, सुमन बलहरा और सरोज बाला ने 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 10304 में, एक और अपील दायर की, जिसे एसआईसी द्वारा 14 जनवरी, 2010 (अनुबंध पी -8) के आक्षेपित आदेश के *तहत* अनुमति दी गई थी। जिसका ऑपरेटिव हिस्सा नीचे दिया गया है

पीठ ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित आदेश पारित किए जाते हैं

> *(a) हरियाणा लोक सेवा आयोग सभी उम्मीदवारों को पेपर के पूरा होने के बाद प्रश्न पुस्तिका (प्रश्न*

पत्र) को बनाए रखने की अनुमति दे सकताहै।

(b) हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद आदर्श कुंजी (प्रश्न पत्र के उत्तर) को एचपीएससी/सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके सार्वजनिक करेगा।

(c) हरियाणा लोक सेवा आयोगकिसी भी उम्मीदवार को ओएमआर शीट्स (उत्तर पुस्तिका) या उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण/जांच की अनुमति देगा, जो परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उचित पर्यवेक्षण के तहत ऐसा करना चाहते हैं/चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। "

(6) आक्षेपित निर्देशों का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता अभी भी संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे थे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के प्रावधानों को लागू करते हुए तत्काल रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें आक्षेपित आदेशों, अनुलग्नक पी -10 (2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9721 के विषय एम) और अनुलग्नक पी -8 (2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 10304 की विषय वस्तु) को चुनौती दी गई थी। इस प्रकार, मैं मामले से अवगत हूं।

(7) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद औरपूरे मामले पर विचारों के बाद, मेरे विचार से, इस संदर्भ में तत्काल रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है,

(8) हालांकि, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की मुख्य कॉस्मेटिक दलीलें कि निजी अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारीअधिनियम की धारा 8 (ई) (जे) के छूट खंड के भीतर आती है, इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है और चूंकि एसआईसी के पास नीति तैयार करने के लिए इसे (एचपीएससी) निर्देशित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए, आक्षेपित आदेश रद्द करने के योग्य हैं, (1) और **माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा** और अन्य बनाम **डी सुवानकार और अन्य,** **(2)** वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू होते हैं, न ही मान्य हैं, न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत।

(9) इसके बाद, **परितोष भूपेश कुरमारशेठ के मामले (सुप्रा)** में, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में विनियमन 104 (3) तैयार किया। विनियमन की वैधता की व्याख्या करते समय, यह देखा गया था कि विनियमन 104 (3) को प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। उत्तर पत्रों के मूल्यांकन याविनियम 104 के खंड (3) के अंतर्गत अंकों के बाद के सत्यापन की प्रक्रिया में नैसगक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल नहीं है जो परीक्षार्थियों के लिए प्रतिकूल बुरे परिणाम लाती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को उचित और तर्कसंगत सीमाओं से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसे इतनी बेतुकी लंबाई तक नहीं ले जाया जा सकता है कि यह आवश्यक हो जाए कि जिन उम्मीदवारों ने सार्वजनिक परीक्षा दी है, उन्हें अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए या परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए स्वयं उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करके और यह निर्धारित करके कि क्या किया गया है परीक्षकों द्वारा उत्तरों का उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन।

(1) एआईआर 1984 एस.सी. 1543

(2) (2007) 1 एससीसी 603

(10) इसी तरह, **<u>डी. सुवनकर और एक अन्य मामले (सुप्रा)</u>** में, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2004 में, अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा आयोजित, प्रतिवादी को 750 में से 654 अंक हासिल करने के लिए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित किया गया था। जब प्रतिवादी ने अभ्यावेदन दिया, तो उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन किया गया और यह था कि एक पेपर में दिए गए अंकों को गलती से 35 के रूप में दिखाया गया था, हालांकि प्रतिवादी ने वास्तव में 65 अंक हासिल किए थे। बताया गया कि कंप्यूटर में गलत एंट्री के कारण यह गलती हुई। त्रुटि को सुधारा गया और एक नई मार्कशीट जारी की गई, अपीलकर्ता-बोर्ड ने **बिस्मया मोहंती मामले** में दिए गए निर्देश के अनुसरण में एक समिति का गठन किया, (3) इसमें, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि विशेष संख्या से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिका की तीन परीक्षकों की समिति द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए ताकि अंकों में मामूली भिन्नता के कारण अन्याय की संभावना से बचा जा सके।

(11) अजीबोगरीब तथ्यों पर और उस मामले की परिस्थितियों में, यह निम्नानुसार फैसला सुनाया गया था

उन्होंने कहा, 'मुझे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक वास्तव में इस नौकरी के लिए सुसज्जित हों. ऐसे मामलों में सर्वोपरि विचार परीक्षक की क्षमता है। बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे व्यक्तियों का चयन ऐसेपरीक्षकों के रूप में करे जिनके पास मूल्यांकन करने की क्षमता, क्षमता हो। अन्यथा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। निष्पक्ष मूल्यांकन की कमी के बारे में आशंका दिखाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सच है कि दो व्यक्तियों का मूल्यांकन सुनहरे पैमाने पर समान नहीं हो सकता है, लेकिन व्यापक भिन्नता मूल्यांकन की प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगी। यदि एक ही उत्तर के लिए एक उम्मीदवार को दूसरे की तुलना में अधिक अंक मिलते हैं तो यह मनमाना होगा। एक चीज जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, वह है अंकों का मामूली अंतर जो मेरिट सूची में उम्मीदवारों की नियुक्ति का फैसला करता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि किसी विशेष विषय के लिए नियुक्त किए गए परीक्षक एक ही संकाय के हों। वही

(3) (1996) 1 ओएलआर 134

मूल्यांकन एक परीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए जो विषय में अच्छी तरह से सुसज्जित है। यह भिन्नता या अनुचित मूल्यांकन की संभावना को खारिज कर देगा।

बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिएकि ऊपर बताए अनुसार विसंगतिपूर्ण स्थितियां उत्पन्न न हों। एक शिक्षक को परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले क्षमता का आकलन करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड उन व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए विशेषज्ञों के एक निकाय का गठन कर सकता है जो परीक्षकों के रूप में नियुक्त होने का इरादा रखते हैं। यह प्रक्रिया निश्चित रूप से समय लेने वाली है लेकिन यह उन सिरों को आगे बढ़ाएगी जिनके लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मुख्य परीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उचित मूल्यांकन के मामले में सुरक्षित वाल्व के रूप में कार्य करे।

उत्तर पत्रों के मूल्यांकन के मामलों में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। मूल्यांकन में सम्मोहक कारणों और स्पष्ट दुर्बलता के लिए, अदालत कदम उठाती है। "

(12) संभवतः, कोई भी उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं के बचाव में नहीं आएगा, बल्कि आरटीआई अधिनियम के तहत तत्काल विवाद में निजी उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करेगा।

(13) यहां जो विवादित नहीं है वह यह है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही प्रश्न पत्रों की प्रतियां मतदाताओं को दे दी हैं औरकेवल पहले मामले में मॉडल कुंजी संहिता और दूसरे मामले में अन्य आक्षेपित निर्देशों के संबंध में जानकारी की आपूर्ति को चुनौती दी है।

(14) सबसे पहले, तत्काल रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अधिनियम के मूल उद्देश्य, उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा। यह विवाद का विषय नहीं है कि अधिनियम को प्रणाली में पारदर्शिता, सूचना तक सहज और गहरी पहुंच सुनिश्चित करने औरभारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार को प्रभावित करने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(15) इस प्रकार, रिकॉर्ड पर स्थिति होने के नाते, अब एकमात्र प्रश्न जो इन रिट याचिकाओं में विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या मॉडल कुंजी कोड और अन्य आक्षेपित संकेत निर्देशों की जानकारी प्रदान करनाछूट खंड के भीतर आता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (ई) (जे) के तहत परिकल्पित है या नहीं?

(16) पार्टियों के लिए विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, प्राइवेट उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई मॉडल कुंजी कोड आदि से संबंधित जानकारी, अधिनियम की धारा 8 (ई) (जे) के तहत उल्लिखित छूट खंड के दायरे में नहीं आती है, जो निम्नानुसार है:

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, वह किसी नागरिक को देने का कोई दायित्व नहीं होगा , -

(क) ***XX XX XX XX***

में ***XX XX XX XX***

(ग) ***XX XX XX XX***

(घ) XX XX XX XX

(ङ) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक जनहित में

ऐसी जानकारी।

(1) XX XX XX XX

(छ) XX XX XX XX

(ज) XX XX XX XX

(मैं) XX XX XX XX

(ञ) ऐसी सूचना जो वैयक्तिक सूचना से संबंधित है जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जो व्यक्ति की निजता के अवांछित अतिक्रमण का कारित करेगी जब तक कि केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, यथास्थिति, संतुष्ट न हो जाए कि सूचना के प्रकटन को व्यापक जनहित में औचित्य नहीं ठहराया जाता है।

(17) इसी तरह, अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत "सूचना" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ रिकॉर्ड सहित किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है,

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और "रिकॉर्ड" शब्द में शामिल हैं- (i) कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फ़ाइल; (ii) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और फैसिमाइल कॉपी; (iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन (चाहे बढ़े हुए हों या नहीं); और (iv) कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(18) अधिनियम की धारा 2 (जे) परिभाषित करती है, "सूचना का अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और जिसमें निम्नलिखितका अधिकार शामिल है- (i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण; (iii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना; (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; और (iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, VI देव कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।

(19) इसके बाद, अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सभी

नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा और अधिनियम की धारा 4 में सूचीबद्ध अपने सभी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्वों का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचना का हकदार है, जिसे अधिनियम की धारा 7 के तहत कंपटेंट अधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

(20) इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 8 के परंतुक में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसी सूचना, जिसे संसद या राज्य विधान को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

(21) उपर्युक्त प्रावधानों के सह-संयुक्त पठन से पता चलेगा, केवल उस जानकारी को छूट दी गई है, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण होगा, जब तक कि अधिकारी संतुष्ट न हों कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरणको सही ठहराता है। इसका अर्थ है कि छूट खंड के सभी अनिवार्य घटकों का पूर्णत अभाव है,

इसलिए, याचिकाकर्ता मॉडल कुंजी कोड की जानकारी की छूट का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसका सार्वजनिक रोजगार के लिए परीक्षा के संचालन के साथ सीधा संबंध है और संभवतः इसे किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता का अनुचित आक्रमण नहीं कहा जा सकता है। मेरे विचार से, प्रतिवादियों द्वारा मॉडल की कंपनी के संबंध में मांगी गई जानकारी को संभवतः छूट प्राप्त जानकारी नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (ई) (जे) के तहत बढ़ाया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया है।

(22) फिर से विद्वान वकील का अगला तर्क कि एसआईसी याचिकाकर्ता-एचपीएससी कोआक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी -8) (2010 के सीडब्ल्यूपी संख्या 10304 की विषय वस्तु) में पो लिसी तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकता है, न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि गलत भी है।

(23) अधिनियम की धारा 4 में यह अधिदेश दिया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण इसअधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिनों के भीतर सभी विवरणों और इस धारा के तहत विचारित तरीके से विधिवत सूचीबद्ध और प्रकाशित अपने सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा। अधिनियम की धारा 7 में निहित प्रक्रिया के अनुसार धारा 6 के तहत सूचना की आपूर्ति और अनुरोध के निपटान के उद्देश्यसे।

(24) इस प्रकार, आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P-8) में निहित निर्देश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं और याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "सख्त सेंसु" मामले की वर्तमान परिस्थितियों के तहत निरस्त होने और आर्क के योग्य हैं। यदि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्कों को इस तरह स्वीकार किया जाता है, तो किसी भी जानकारी/निर्देश की अनुमति नहीं है, जो निश्चित रूप से अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यों को शून्य और नकारात्मक कर देगा।

(25) कोई अन्य कानूनी बिंदु, विचार करने योग्य, या तो आग्रह किया गया है या पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दबाया गया है।

(26) उपरोक्त कारणों के आलोक में, चूंकि इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, मामले की प्राप्त परिस्थितियों

में तत्काल रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोगनहीं कि या जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और नि ष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम